नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 15 Jul 2025 - 15raj3
epaper.navabharat.news

हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को 18 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का आदेश

इनाम की घोषणा और गिरफ्तारी वारंट पहले ही हो चुका है जारी

पुलिस ने प्रॉपर्टी कुर्की हेतु तेज की दस्तावेजी कार्रवाई

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

जान से मारने की धमकी देकर और ब्लैकमेल करके मूल कर्ज राशि से कई गुना ज्यादा ब्याज वसूलने के आरोपी फरार हिस्ट्रीशीटर भाइयों वीरेन्द्र सिंह तोमर एवं रोहित सिंह तोमर के खिलाफ सात केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट में आवेदन लगाया है। पुलिस के आवेदन पर दोनों फरार आरोपियों को 18 अगस्त तक कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था लेकिन आरोपी पुलिस को पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। माना जा रहा है कि उक्त आदेश पुलिस द्वारा आरोपियों की प्रॉपर्टी को कुर्क कराने जारी दस्तावेजी कार्रवाई की दिशा में एक और कदम है। इससे पहले पुलिस दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है।

दो और गंभीर शिकायतें पहुंची पुलिस के पास : पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरानीबस्ती थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ दो और गंभीर शिकायतें पहुंची हैं। दोनों मामले कर्जदारों को कई गुना ज्यादा रकम वसूलने के बाद और धमकाने तथा जान से मारने की धमकी देने के हैं। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के पास उनकी जमीन के दस्तावेज और कोरे चेक हैं। जिन्हें वे लौटा नहीं रहे थे, बल्कि और रकम की मांग करते हुए प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेने की धमकी दे रहे थे। जून में आरोपियों के घर पुलिस की जांच के बाद आरोपी फरार हुए, तब वे हिम्मत करके थाने पहुंचे हैं। टीआई पुरानीबस्ती के मुताबिक शिकायतों की जांच जारी है। दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिर और अपराध आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे।

एक दिन पहले खुद सीएसपी पहुंचे थे आरोपियों के घर

सीएसपी पुरानीबस्ती राजेश देवांगन खुद आरोपियों के घर साई विला भाठागांव में गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे थे। पुलिस टीम को आरोपी घर में नहीं मिले। तब आरोपियों के रिश्तेदारों को गिरफ्तारी वारंट के बारे में बताया गया। वारंट चिपकाने के बाद पुलिस टीम लौटी थी। सोमवार को कोर्ट को पुलिस ने वारंट की तामीली और आरोपियों द्वारा पुलिस पूछताछ से बचने खुद को छिपा रहे होने के बारे में बताया गया। इसके बाद तोमर बंधुओं के खिलाफ कोर्ट ने उद्घोषणा जारी करते हुए 18 अगस्त तक का समय दिया।

कई पीड़ितों के दस्तावेज नहीं मिले आरोपियों के घर से इसलिए...

पुलिस को आशंका है कि फरार आरोपियों ने कर्जदारों के जमीनों के पेपर, एग्रीमेंट की कॉपी और चेक समेत कई और तरह के दस्तावेज साई विला मकान के अलावा कहीं और भी छिपाकर रखा है। दरअसल पुलिस ने जून में छापेमारी करके अवैध हथियार, जमीन और कर्ज से संबंधित ढेरों दस्तावेज बरामद किए थे। जिनके चेक व पेपर मिले, उनसे बुलाकर पूछताछ की गई। बयान दर्ज किया गया। जिसके अनुसार कर्जदार ब्लैकमेल का शिकार होते रहे हैं। ऐसे लोग केस में पुलिस के गवाह बनेंगे। लेकिन कई ऐसे शिकायतकर्ता भी हैं, जो फरार आरोपियों के पास अपने पेपर, कोरे चेक होने की जानकारी तो दे रहे हैं। लेकिन छापे में उनके दस्तावेज बरामद नहीं हुए। लिहाजा पुलिस की यह आशंका और मजबूत हो रही है कि आरोपियों ने कोई और ठिकाना बनाकर रखा था। उसका पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही पुलिस

फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी पुलिस जांच के लिए उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा जारी कराया है। पुलिस अपनी जांच और कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है।

राजेश देवांगन सीएसपी पुरानीबस्ती रायपुर।